न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर एवं अति.जिला मजिस्ट्रेट–प्रथम, जयपुर

परिवाद संख्याः 04/2020 GCMS No:- 2020/00026

सरकार जरिये आलोक टांक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय।

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री विष्णु डंगायच पुत्र श्री दामोदर प्रसाद अग्रवाल (मैनेजर एवं खाद्य कारोबारकर्ता)
मैसर्सः– डंगायच प्रोडक्टस,
जी–54, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया,
बस्सी, जिला जयपुर–303301

2. श्री विनय कुमार (मालिक)
मैसर्सः– डंगायच प्रोडक्टस,
जी–54, रीको रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया,
बस्सी, जिला जयपुर–303301

... अप्रार्थी–अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (2)
एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांकः 17/05/2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री आलोक टांक दिनांक 15.02.2019 को समय 04.30 पी.एम. बजे श्री श्याम सुन्दर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ मैसर्स डंगायच प्रोडक्टस, जी–54, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया बस्सी, जिला जयपुर पर पहुंचे व अपना परिचय दिया। उक्त संस्थान पर श्री विष्णु डंगायच पुत्र श्री दामोदर प्रसाद अग्रवाल उपस्थित मिले जिन्होने स्वयं को उक्त संस्थान का मैनेजर एवं खाद्य कारोबारकर्ता होना जाहिर किया। मौके पर वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विकय अनुज्ञापत्र दिखाया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर फर्म में आम जनता को विकय हेतु 45 प्लास्टिक बैगो में (प्रत्येक में 10 सील्ड पौली पैक 5 कि.ग्रा.) WHOLE WHEAT ATTA (SHAKTI BHOG) रखे थे। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5 ए की एक प्रतिया तैयार कर विकेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विष्णु डंगायच ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 की एक प्रति विकेता श्री विष्णु डंगायच को देकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार खाद्य करोबारकर्ता को सूचित करते हुए गुणवत्ता जांच हेतु एक बैग में से एक सील्ड 5 कि.ग्रा. पौली पैक WHOLE WHEAT ATTA (SHAKTI BHOG) का खाद्य करोबारकर्ता से खुलवाकर उसमें से 2 किलोग्राम मात्रा वास्ते नमूना जांच संख्या AN-1603 के नमूनीकरण के लिये खरीदी जिसकी कीमत 46/– रूपये का नकद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री अमित कुमार एवं श्री श्याम सुन्दर के हस्ताक्षर कराये एवं आवेदक स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फार्म 5ए व खरीद रसीद तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज न्यायनिर्णयन आवेदन के

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 किलो WHOLE WHEAT ATTA (SHAKTI BHOG) को एकरूप कर विकेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखे प्लास्टिक जार दिखाकर उक्त खरीदशुदा WHOLE WHEAT ATTA (SHAKTI BHOG) को प्रत्येक जार में बराबर–बराबर डाला एवं प्रत्येक जार को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक जार पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं क्रमांक AN-1603 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विकेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नंबर AN-1603 नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से उपर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार इस प्रकार करवाये हस्ताक्षर पेपर स्लिप व रैपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर फार्म नंबर 6 की छः प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक जयपुर का पता अंकित किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो प्रार्थना पत्र के संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय को जमा कराकर रसीदे प्राप्त कि है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर के पत्र क्रमांक 34 दिनांक 15.03.2019 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/432/एक्ट/2019/245 दिनांक 06.03.2019 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ WHOLE WHEAT ATTA (SHAKTI BHOG) मिसब्राण्ड होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समस्त मूल पत्रावली को अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की तथा श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय ने पत्र क्रमांक/ एफएसएसए /2020/126 दिनांक 11.02.2020 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। जिसकी अनुपालना में परिवाद प्रस्तुत किया गया है तथा निवेदन किया है कि मिसब्राण्डेड फूड WHOLE WHEAT ATTA (SHAKTI BHOG) का विक्रय/उत्पादन करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(2) का उल्लंधन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे। प्रार्थी पक्ष द्वारा परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी (अभियुक्त) को नोटिस

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

जारी करने के आदेश दिये गये। नोटिस जारी करने पर अप्रार्थी की ओर से श्री विष्णु डंगायच उपस्थित। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

पत्रावली पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खाद्य पदार्थ WHOLE WHEAT ATTA (SHAKTI BHOG) मिसब्राण्ड का विकय करके अप्रार्थीगणों ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उपधारा 2(2)का उल्लंघन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य सरंक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी की ओर से श्री विष्णु डंगायच उपस्थित आये। जिन्होनें अपना जवाब दिनांक 04.02.2021 को प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है। दौराने बहस नोटिस के संलग्न प्रेषित प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को गलत बताया तथा निवेदन किया कि जांच रिपोर्ट को देखने से ऐसी कोई मिलावट होना नहीं पाया गया है, जिससे आम जनता को हानिकारक हो। प्रार्थी का उत्पाद शक्ति भोग आटा राज्य केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के उत्पाद की गुणवत्ता निर्धारित मानक अनुसार सही पायी गयी है। प्रार्थी की फर्म का नाम एवं पता पेकेजिंग कवर पर प्रार्थी को फर्म का पता अंकित था सहबन से पेकेजिंग कवर पता अपूर्ण अंकित हो गया। प्रार्थी द्वारा पेकेजिंग एवं लेबलिंग मिस्टेक को सुधार लिया गया है। धारा 52 में प्रथम बार मिसब्राण्ड आने पर सुधार हेतु चेतावनी देकर शास्ति से माफी का प्रावधान है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज किया जावे।

पत्रावली पर प्रार्थी पक्ष एवं अप्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत दलील पर गौर किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड का विकय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उप धारा 2 (2) का उल्लंधन किया है। अप्रार्थी पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं हुये है, जिससे यह साबित हो कि उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो। अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थीगणों–अभियुक्तगणों पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध कारित होने पर शास्ती राशि रू0 15,000/–(अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) लगाई जाती है। अप्रार्थीगण–अभियुक्तगण जुर्माना राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड में 15 दिवस की अवधि में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा राशि जमा करा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे। प्रार्थी पक्ष को निर्णय की प्रति पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2022 को सरे इजलास सुनायां गया।

17/5/22

(दिनेश कुमार शर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति.कलक्टर एवं अति.जिला
मजिस्ट्रेट–प्रथम जयपुर